दिनांक–03.07.2026 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में आयोजित राज्य गंगा समिति की 7वीं समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:–

उपस्थिति :–

1. श्री आनंद किशोर– अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग।
2. श्री विनय कुमार– प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग।
3. श्री नर्मदेश्वर लाल– प्रधान सचिव, कृषि विभाग।
4. श्री पंकज कुमार– प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
5. श्री चन्द्रशेखर सिंह– सचिव, जल संसाधन विभाग।
6. श्री बी कार्तिकेय धनजी– सचिव, लघु जल संसाधन विभाग।
7. श्री रचना पाटिल– सचिव, वित्त विभाग।
8. श्री अनिमेष पराशर– प्रबंध निदेशक, बुडको।
9. श्री नवीन कुमार सिंह– निदेशक, पंचायती राज विभाग।
10. श्री नीरज नारायण –सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना।
11. श्री एस0 चन्द्रशेखर– निदेशक हरियाली मिशन
12. श्री अरविन्दर सिंह – प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार।
13. श्री राजीव रंजन शुक्ला– क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भूमि जल पर्षद, पटना।
14. श्री नित्यानंद प्रसाद– अभियंत्रण प्रमुख–सह–विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।
15. श्री चंदन कुमार वर्मा– PM, NBCC.
16. V.C के माध्यम से कार्यकारी निदेशक, NMCG
17. V.C के माध्यम से सभी जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला गंगा समिति।

सर्वप्रथम प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा मुख्य सचिव एवं सभी सदस्यों के स्वागत के साथ बैठक की शुरूआत की गई।

2. मुख्य सचिव, द्वारा दिनांक–21.02.2021 के बाद राज्य गंगा समिति की कोई बैठक नहीं होने पर खेद जताया गया। उनके द्वारा भविष्य में राज्य गंगा समिति की नियमित बैठक करने हेतु निदेश दिया गया। साथ ही यह सुझाव दिया गया कि राज्य गंगा समिति के वैसे निर्णय जिनका अनुश्रवण नियमित तौर पर करने की आवश्यकता है वैसे कार्यों का अनुश्रवण एक उप समिति गठित कर किया जा सकता है।

(अनुपालन–नगर विकास एवं आवास विभाग)

3. मुख्य सचिव द्वारा मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं फतुहा औद्योगिक क्षेत्रों के लिये (Common Effluent Treatment Plant) CETP की आवश्यकता का पुनः आकलन करने का निदेश दिया गया। इस संबंध में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद को अगले 03 माह में इसका प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। साथ ही हाजीपुर CETP से संबंधित कार्य पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन–उद्योग विभाग / BSPCB))

4. माननीय NGT के अदेशानुसार Flood Plain Zoning का कार्य शीघ्र पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया।

(अनुपालन–जल संसाधन विभाग)

5. शोधित सीवरेज अपशिष्ट जल के उपयोग हेतु बाढ़ STP में NTPC बाढ़ के साथ निविदा प्रक्रिया अगले एक माह में पूर्ण करने का निदेश दिया गया। साथ ही कहलगांव STP एवं बेगूसराय STP से संबंधित कार्य को भी यथाशीघ्र पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन–नगर विकास एवं आवास विभाग)

6. जिला पदाधिकारी, कटिहार द्वारा River Front Development, Manihari (Katihar) कार्य में Scouring से संबंधित कठिनाई की चर्चा की गई। इस आलोक में उक्त योजना के डिजाईन का पुनः समीक्षा करने एवं आवश्यक कदम उठाने हेतु निदेशित किया गया।

(अनुपालन–नगर विकास एवं आवास विभाग)

7. NBCC द्वारा पूर्ण किये गये घाट एवं मोक्षधाम की योजनाओं के अनुश्रवण हेतु एक नीति निर्धारण करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन–नगर विकास एवं आवास विभाग)

8. कलेक्ट्रेट घाट स्थित गंगा रिसर्च सेंटर–सह–म्यूजियम भवन के उपयोग हेतु उचित निर्णय लेने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन–नगर विकास एवं आवास विभाग)

9. गोपालगंज जिलान्तर्गत नारायणी रिवर फ्रंट के पास उपर्युक्त स्थल पर पार्क निर्माण से संबंधित प्रस्ताव नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन–पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)

10. मुख्य सचिव द्वारा सभी जिला पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि उनके क्षेत्राधीन नमामि गंगे परियोजना से संबंधित सभी योजनाओं का नियमित अनुश्रवण किया जाय एवं भूमि उपलब्धता अथवा अन्य मामलों में संबंधित विभागों को ससमय सहयोग प्रदान किया जाय।

(अनुपालन–सभी जिला गंगा समिति)

11. जैविक खेती के संबंध में कृषि विभाग द्वारा सूचित किया गया कि NMCG द्वारा संपोषित परम्परागत कृषि विकास योजना वर्ष 2025–26 में पूर्ण हो चुकी है।

12. कार्यकारी निदेशक, NMCG द्वारा नमामि गंगे परियोजना अर्न्तगत प्रक्रियाधीन योजनाओं से संबंधित निम्न बिंदुओं पर शीघ्र उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया गयाः–

(i) Treated Water Reuse Policy को शीघ्र अधिसूचित करने,

(ii) हाजीपुर STP and I&D एवं बेगुसराय STP and I&D का शेष कार्य पूर्ण करने,

(iii) World Bank Audit Report ससमय NMCG को उपलब्ध करने,

(iv) URMP (Urban River Management Plan) पर विचार विमर्श हेतु मुख्य सचिव, बिहार के अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित करने,

(v) Arrah STP & and I&D, Katihar STP and I&D तथा Buxar STP and I&D योजना के निविदा निष्पादन करने,

(vi) Patna, Barauni and Lakhisarai से संबंधित STP & and I&D का DPR तैयार कर NMCG को स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराने।

उक्त सभी विषयों पर NMCG से समन्वय स्थापित कर अग्रत्तर कार्रवाई करने हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग को निदेश दिया गया।

(अनुपालन–नगर विकास एवं आवास विभाग)

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

मुख्य सचिव,
बिहार।

ज्ञापांकः– 14 / विविध–03–18 / 2026 2576 / पटना, दिनांकः– 10.7.26

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग / खान एवं भूतत्व विभाग / कृषि विभाग / लघु जल संसाधन विभाग / वित्त विभाग / जल संसाधन विभाग / पंचायती राज विभाग / उद्योग विभाग / ग्रामीण विकास विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार / प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना / सभी जिला पदाधिकारी, बिहार / अध्यक्ष, बिहार राज्य पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण पर्षद / सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना / क्षेत्रीय निदेशक, केंद्रीय भू–जल पर्षद, पटना / निदेशक, हरियाली मिशन / महाप्रबंधक, एन.बी.सी.सी., पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 14 / विविध–03–18 / 2026 2576 / पटना, दिनांकः–10.7.26

प्रतिलिपिः– महानिदेशक, NMCG, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः– 14 / विविध–03–18 / 2026 2576 / पटना, दिनांकः– 10.7.26

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव।